संख्या-70/2016/154मंत्री/26-3-2016-4(14)/2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च 2016

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वागींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद बाराबंकी के विकास कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1892-93/स.क./विकास/एकीकृत विकास योजना/(104।।)/बाराबंकी/2015-16, दिनांक-16.03.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड-देवां एवं फतेहपुर में विकास कार्यो हेतु कुल रूपया-1029.20 लाख (रूपया दस करोड़ उन्नतीस लाख बीस हजार मात्र) की निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रूपया-514.60 लाख (रूपया-पांच करोड़ चैदह लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र (बी0एम0-9) के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

जनपद-बाराबंकी (रूपया लाख में)

क्र.सं	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	विकास कार्यो की लागत	कार्य की लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गौरिया	देवां	सम्पर्क मार्ग निर्माण/सी0सी0रोड़, इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण	111.59	55.795
2	हडौरी	''	सम्पर्क मार्ग निर्माण/सी0सी0रोड़, इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण	92.56	46.28
3	शाहपुर	''	सम्पर्क मार्ग निर्माण/सी0सी0रोड़, इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण	214.74	107.37
4	देवखरिया	फतेहपुर	फतेहपुर सम्पर्क मार्ग निर्माण/सी0सी0रोड़, इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण	329.91	164.955
5	मुर्तजानगर	देवां	सम्पर्क मार्ग निर्माण/सी0सी0रोड़, इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण	280.40	140.20
	योग			1029.20	514.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को आवंटित की जायेगी एवं जिलाधिकारी द्वारा धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। उक्त कार्य हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बाराबंकी को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण में विलम्ब होने से यदि लागत में बृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी,जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)-कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्यो की प्रस्तावित लागत को यथावत मानते हुए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अतएव स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग होने के उपरान्त कराये गये कार्यो का फोटोग्राफ के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

(6)- उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9(पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9 प्रपत्र

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-70/2016/154मंत्री(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-जिलाधिकारी, बाराबंकी।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4-कोषाधिकारी, बाराबंकी।
5-अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, बाराबंकी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6-जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी।

7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8-अपर निदेशक, वित्त, बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

9-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।

10-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

-

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी०एम०–8 (पार्ट–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–150)

अनुदान संख्या व नाम – 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2015–2016 (धनराशि हजार रू० में)

लेखाशीर्षक आयोजनागत	[illegible]	[illegible]	[illegible]	वित्त विभाग द्वारा [illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6
4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–02–समाज कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0101–आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण([illegible])–24–वृहत निर्माण कार्य–	132480	51460	51460	51460	81020
योग	132480	51460	51460	51460	81020

लेखाशीर्षक आयोजनागत	[illegible]	[illegible]	[illegible]	वित्त विभाग द्वारा [illegible]	[illegible]
7	8	9	10	11	12
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति बस्तियों के लिए एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्गों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य–	322348	373808	51460	51460	373808
योग	322348	373808	51460	51460	373808

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

संख्या–[illegible]–727/[illegible] दि० 31.3.16

सेवा में,
[illegible]

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

([illegible])
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

-2-

संख्या– 70 (1)/26–3–2016–4(14)/2016–दिनांक 31 मार्च, 2016।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ०प्र० लखनऊ।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, बाराबंकी।
7. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
8. अपर निदेशक वित्त निदेशालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ०प्र० लखनऊ।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
10. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
11. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण
12. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।